न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर(**RAS**)

दावा संख्या	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
34 / 2017	27.02.2017	12.07.2022

अनुवान

1. सुस्सी पत्नी स्व. श्रीराम –फौत
2. प्योरलाल पुत्र श्रीराम जाति चमार निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
3. कपिल पुत्र कृष्णा पत्नी पृथ्वीसिंह
4. राखी
5. सरिता पुत्रीयान कृष्णा पत्नी पृथ्वीसिंह जातियान चमार निवासी खेडी जिला महेन्द्रगढ, हरि0

– वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

– प्रतिवादी

दावा– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
बम्य हु0 ई0 दवामी

उपस्थितिः– श्री बस्तीराम यादव अधिवक्ता – वादीगण

–: निर्णय :–

दिनांक :– 12.07.2022

आज यह पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुयी। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी ख0न0 2165 रकबा 0.82 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में स्थित होकर स[illegible]0 1069 से भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पैमूद किया गया है। आराजी [illegible] चुन्ना के कब्जेकाश्त की आराजी ही है। उनकी [illegible] पिता, पति एवं नाना श्रीराम पुत्र कान्हा काबिज काश्त रहे है, श्रीराम की फौतगी प[illegible] वादीगण काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:59:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

काश्त है। इसीप्रकार आराजी विरासतन प्राप्त होती रही है। आराजी मुतनाजा में वादी सं0 1/3 भाग व वादी सं0 2 का 1/3 भाग व वादी सं0 3 लगा. 5 की 1/3 भाग कब्जेकाश्त गैर खातेदारी की आराजी है। सजरा खानदान पेश है। आराज़ी पर वादीगण के पूर्व संवत 2012 से पूर्व से काबिल व दखिल चले आ रहे है एवं राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज बतौर काश्तकार दर्ज हो रहे है। वादीगण के पूर्वज कान्हा पुत्र चुन्ना के स्थान पर गिरदावरी संवत 2010 से 2014 में कान्हा पुत्र मूला हो गया था जिसको दुरूस्त कराकर कान्हा पुत्र चुन्ना कराया गया था जो गिरदावरी में दुरूस्ती का अंकन हो रहा है और वास्तविक रूप से कान्हा के पिता का नाम चुन्ना था। वादीगण आज भी आराजी के भौतिक कब्जे में है एवं वादीगण के नाम आज भी आराजी हिस्से अनुसार गैर खातेदारी में दर्ज हो रही है। वादीगण का आराजी पर बहैसियत खातेदार कब्जा है एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है आदि–आदि का निवेदन करते हुये वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादी डिक्री इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इस अमर की पारित की जाकर विवादित आराजी वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 में वादीगण को हिस्से अनुसार सम्भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे इन्द्राज का हजफ कर खातेदार के इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमाये जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी सं0 1 की ओर से पैरोकार सरकार ने जवाब दावा पेश किया। मुताबिक जवाब दावा के बिन्दूवार वादी स्वयं सिद्ध करें अंकित करते हुये वर्णित आराजी निष्क्रान्त कृषि भूमि होना अंकित कर जवाब प्रस्तुत होकर शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में तनकीयात कायम किये गये जो निम्नप्रकार है –

1–आया आ0ख0नं0 2165 रकबा 0.82 है0 वाके ग्राम मुण्डावर में वा[illegible] लगा0 5 सम्भाग में खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिका[illegible] गैर खातेदार को हजफ कर खातेदार का इन्द्राज करा[illegible]

–जिम्मे वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:59:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

2—आया विवादित निष्क्रान्त भूमि होकर गैर खातेदारी की आराजी है जो अंकन सही होने की स्थिति में वाद वादीगण खारिज होने योग्य है।

—जिम्मे प्रतिवादी

3—दादरसी :

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2029 प्रदर्श—1, नकल खसरा सेटलमेन्ट संवत 2024 प्रदर्श—2, नकल जमाबन्दी संवत 2069—72 प्रदर्श—3, नकल जमाबन्दी संवत 2041 प्रदर्श—4, नकल जमाबन्दी संवत 2045 प्रदर्श—5, नकल जमाबन्दी संवत 2049 प्रदर्श—6, नकल जमाबन्दी संवत 2053 प्रदर्श—7, नकल जमाबन्दी संवत 2057—60 प्रदर्श—8, नकल जमाबन्दी संवत 2061—64 प्रदर्श—9, नकल जमाबन्दी संवत 2065—68 प्रदर्श—10, नकल तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल सैटलमेन्ट प्रदर्श—11, नकल खसरा संवत 2025 प्रदर्श—12, नकल खसरा टीप संवत 2008—11 प्रदर्श—13 पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्यारेलाल पीडब्ल्यू—1 पेश किया ज़ो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात अवलोकन किया गया। दौराने बहस वकील वादी ने अपने वादपत्र के जिम्मनों को दौहराते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजीयात पूर्वज कान्हा पुत्र चुन्ना की संवत 2008 से पूर्व की कब्जेकाश्त की आराजी रही है। जिसके बाबत वादपत्र की ताईद में नकल खसरा टीप संवत 2008 लगा. 2011 प्रदर्श—13 पेश की है जिसके मुताबिक हम वादीगण के पूर्वज का स्पष्ट रूप से कब्जा काश्त साबित है एवं उनकी फौतगी पर वादीगण के पिता, पति एवं नाना श्रीराम पुत्र कान्हा काबिज काश्त रहे है एवं उनकी फौतगी हम वादीगण बदस्तूर एवं बेरोकटोक काबिज काश्त चले आ रहे है आज भी हम वादीगण [illegible] हिस्से अनुसार काबिज काश़्त है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी[illegible] दर्ज रिकॉर्ड है चूँकि वर्तमान में वादीया सं0 1 सुरती [illegible] है जिनके एकमात्र वारिसान हम वादीगण सं0 2 लगा0 5 है एवं इस प्रकार आराजी ख[illegible]दानी है एवं लम्बे समय से काबिज रहकर कार्य विधिक अधिकारों के अन्तर्गत काश्त करते रहे है। वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:59:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। हम वादीगण आराजी मुतनाजा में बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है तथा आराजी के बाबत अपने वादपत्र के समर्थन में प्रदर्श–1 लगा. 13 यथा नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2029, खसरा सेटलमेन्ट संवत 2024, जमाबन्दी संवत 2041 लगा. 2069–72, तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल सेटलमेन्ट, खसरा संवत 2025 आदि अपने वादपत्र के समर्थन में प्रस्तुत कर दिये जाने का अभिकथन करते हुये वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार रहा –

1–आया आ0ख0नं0 2165 रकबा 0.82 है0 वाके ग्राम मुण्डावर में वादी सं0 2 लगा0 5 सम्भाग में खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है एवं राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे गैर खातेदार को हजफ कर खातेदार का इन्द्राज कराने के अधिकारी है। उक्त तनकी का साबित करने का भार जिम्मे वादीगण रहा है एवं वादीगण ने अपने वादपत्र के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगा. 13 के माध्यम से स्पष्ट रूप से साबित कर दिया है कि वादीगण के पूर्वज का संवत 2008 से राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर काब्जा होना साबित पाया जाता है तथा काश्तकारी अधिनियम संवत 2012 से लागू होने की स्थिति में इस तनकी को यह न्यायालय वादीगण के हक में स्वीकार योग्य पाता है।

2–आया विवादित निष्क्रान्त भूमि होकर गैर खातेदारी की आराजी है जो अंकन सही होने की स्थिति में वाद वादीगण खारिज होने योग्य है। उक्त तनकी को साबित करने का भार जिम्मे प्रतिवादी रहा है तथा तनकी सं0 1 बरखिलाफ प्रतिवादी होकर बहक वादीगण स्वीकार पाये जाने की स्थिति में केवल मात्र विवादित आराजी निष्क्रान्त भूमि होकर गैर खातेदारी की आराजी के होने की स्थिति में काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व एवं काश्तकारी अधिनियम लागू होने के दिन वादीगण के पूर्वज का विवादित आराजी पर काबिज होना पाये जाने की स्थिति में भी उक्त तनकी को [illegible] बरखिलाफ प्रतिवादी पाते हुये बहक वादीगण स्वीकार योग्य पाता है।

3–अन्य दादरसी – उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:59:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

—ःआदेशः—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा अपने वादपत्र को सुसंगत दस्तावेजात से साबित कर दिये जाने की स्थिति में वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाये जाने पर वादीगण के हाल आराजी ख0न0 2165 रकबा 0.82 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से हो रहे गैर खातेदारी के अंकन को नाम सहित हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं वादीगण के उक्त अंकन के स्थान पर वादी सं0 2 प्यारेलाल को आराजी ख0नं0 2165 रकबा 0.82 है0 के 1/2 भाग का एवं वादी सं0 3 लगा. 5 को सम्भाग में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूँकि विवादित आराजीयात कस्टोडियन आराजी रही है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार कस्टोडियन शुल्क वादीगण तहसीलदार कार्यालय मुण्डावर में जमा करायें। तहसीलदार मुण्डावर राजहित में विवादित आराजी के बाबत नियमानुसार देय कस्टोडियन शुल्क वादीगण से प्राप्त कर निर्धारित मद में जमा राजकोष कराये जाने उपरान्त ही वादीगण सं0 2 लगा. 5 के नाम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर, खुले न्यायालय सुनाया गया।

12-07-2022

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

([illegible]जर)
उप[illegible] अधिकारी
[illegible] (अलवर) राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:59:42 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – पंकज बडगूजर(**RAS**)

दावा संख्या	रजु दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
34 / 2017	27.02.2017	12.07.2022

अनुवान

1. सुस्सी पत्नी स्व. श्रीराम –फौत
2. प्योरलाल पुत्र श्रीराम जाति चमार निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0
3. कपिल पुत्र कृष्णा पत्नी पृथ्वीसिंह
4. राखी
5. सरीता पुत्रीयान कृष्णा पत्नी पृथ्वीसिंह जातियान चमार निवासी खेडी जिला महेन्द्रगढ, हरि0

– वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0

– प्रतिवादी

दावा– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
बम्य हु0 ई0 दवामी

–: पर्चा डिक्री :–

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बस्तीराम यादव की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.07.2022 को पंकज बडगूजर, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आ[illegible] जाता है और डिक्री दी जाती है कि– हाल आराजी ख0न0 2165 रकबा 0.82 60 [illegible] तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0 के बाबत के वाद की डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम से हो रहे गैर खातेदारी के अंकन को नाम सहित हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं वादीगण के उक्त अंकन के स्थान पर वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:59:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

सं0 2 प्यारेलाल को आराजी ख0नं0 2165 रकबा 0.82 है0 के 1/2 भाग का एवं वादी सं0 3 लगा. 5 को सम्भाग में 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूँकि विवादित आराजीयात कस्टोडियन आराजी रही है। ऐसी स्थिति में नियमानुसार कस्टोडियन शुल्क वादीगण तहसीलदार कार्यालय मुण्डावर में जमा करायें। तहसीलदार मुण्डावर राजहित में विवादित आराजी के बाबत नियमानुसार देय कस्टोडियन शुल्क वादीगण से प्राप्त कर निर्धारित मद में जमा राजकोष कराये जाने उपरान्त ही वादीगण सं0 2 लगा. 5 के नाम उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.07.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

12-07-2022

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

(पंकज बडगूजर)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Badgujar
Date: 2022.10.12 17:59:42 IST
Reason: SelfAttested